

प्रारूप-11  
{ नियम 7 (1) देखिए }

आवेदक श्री अक्षय कुमार तापडिया पुत्र श्री कैलाश चंद निवासी राजस्थान बैंक वाली गली आरोग्य मार्ग अजमेर रोड मदनगंज किसानगढ़ जिला अजमेर 2. श्री अभिषेक सोनी पुत्र श्री तेजकरण सोनी निवासी सोनी सदन आरोग्य मार्ग अजमेर रोड मदनगंज किसानगढ़ 3. श्री गोपी गुर्जर पुत्र श्री रायमल गुर्जर निवासी ग्राम आखरी तहसील व जिला अजमेर राज  
विषय:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि से अकृषि (आवासीय प्रयोजनार्थ) के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

(1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि कृषि भूमि से अकृषि (आवासीय प्रयोजनार्थ) उपयोग के लिए हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :-

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
किसानगढ़ अजमेर	मदनगंज	150,154	कुल क्षेत्रफल 19425 वर्गमीटर

- (2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।  
(3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिवृत्ति अधिकार निर्वाहित करके भूमि का कृषि भूमि से अकृषि (मिश्रित) उपयोग के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।  
(4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा नम्बर 150,154 का क्षेत्रफल 19425 वर्गमीटर तहसील किसानगढ़ में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिवृत्ति अधिकारी को उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आबंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्यवनाधीन रखा गया समझा जायेगा।  
(5) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रमारों के निष्केप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।  
(6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ..... को पारित किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी  
आयुक्त

नगर परिषद किसानगढ़।  
दिनांक 15/07/25

क्रमांक / नपकि / कृ.भू.नि. / 2025 / 1019A-1019B

- प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।  
1. तहसीलदार, किसानगढ़ तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।  
2. स्थानीय प्राधिकारी/आयुक्त नगर परिषद किसानगढ़।  
3.1. श्री अक्षय कुमार तापडिया पुत्र श्री कैलाश चंद निवासी राजस्थान बैंक वाली गली आरोग्य मार्ग अजमेर रोड मदनगंज किसानगढ़ जिला अजमेर 2. श्री अभिषेक सोनी पुत्र श्री तेजकरण सोनी निवासी सोनी सदन आरोग्य मार्ग अजमेर रोड मदनगंज किसानगढ़ 3. श्री गोपी गुर्जर पुत्र श्री रायमल गुर्जर निवासी ग्राम आखरी तहसील व जिला अजमेर राज

प्राधिकृत अधिकारी  
आयुक्त  
नगर परिषद किसानगढ़।

# कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान

क्रमांक : न.प.कि/क.भू./2025/5706  
श्री अक्षय तापडिया पुत्र श्री कैलाश चन्द

दिनांक :- 24/12/25

श्री अभिषेक सोनी पुत्र श्री तेजकरण सोनी व अन्य

निवासी आरोग्य मार्ग अजमेर रोड मदगनज किशनगढ

विषय:- राजस्व ग्राम मदगनज के खंसरा संख्या 150/154 का कुल क्षेत्रफल 19425 वर्गमीटर की आवासीय योजना का रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के तहत पंजियन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मदगनज के खंसरा संख्या 150/154 का कुल क्षेत्रफल 19425 वर्गमीटर की आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के अनुसार संशोधित ले-आउट प्लान परिषद की एम्पार्वड समिति के द्वारा दिनांक 07.11.2025 स्वीकृत करते हुये लीज डीड पट्टा विलेख जारी किये जाने के निर्णय लिया गया है। विभागीय आदेश के अनुसार उक्त योजनाओं का रेरा अधिनियम 2016 के अन्तर्गत रेरा ऑथरेटी में पंजियन किया जाना आवश्यक है।

अतः आप उक्त खंसरा संख्या 150/154 में स्वीकृत आवासीय योजना में आमजन एवं पट्टा धारक के हितों को देखते हुए रेरा ऑथरेटी में पंजियन कराया जाना सूनिश्चित करें। स्वीकृत आवासीय योजना का रेरा ऑथरेटी पंजियन के अभाव में विकासकर्ता के द्वारा विक्रित भूखण्डों के नाम हस्तान्तरण व भवन निर्माण स्वीकृति, भूखण्डों के उपविभाजन/एकीकरण के आवेदन पर परिषद् के द्वारा स्वीकृत नहीं किये जायेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। साथ ही 12.5 प्रतिशत के पट्टे रेरा पंजीयन के पश्चात ही जारी किये जायेंगे।

सूचित रहे।

  
आयुक्त  
नगर परिषद, किशनगढ।



# AERO CRYSTAL

KH.NO.150 & KH. NO. 154 VILLAGE KISHANGARH - B  
TEH.KISHANGARH, DISTT.AJMER  
RERA No.: RAJ/P/2026/4620





**Rajasthan Real Estate Regulatory Authority, Jaipur**  
2nd & 3rd Floor, RSIC Wing, Udyog Bhawan,  
Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005  
Website : <http://rera.rajasthan.gov.in>  
Phone No.: 0141-2851900



### REGISTRATION CERTIFICATE OF PROJECT

This Certificate of registration is hereby granted under Section 5 of the Real Estate(Regulation and Development) Act, 2016 to the following project:-

1. Project registration number: **RAJ/P/2026/4620**
2. Details of Project: **AERO CRYSTAL , at Plot/Khasra No.150,154 , Village-Kishangarh B , - , Ajmer - 305801 (Rajasthan)**
3. Details of promoter:Name of the firm/society/company/competent authority **PRIYA CONSTRUCTION AND SERVICES**having its office address at **40, SHREEJI ENCLAVE, JAIRAMPURA ROAD, NINDAR , NINDAR , Jaipur , Jaipur (Rajasthan) - 302032**
4. This registration is granted subject to the following conditons,namely:-
  - i. The promoter shall enter into an agreement for sale with the allottees as provided in Form-G;
  - ii. The promoter shall execute and register a conveyance deed in favour of the allottee for the apartment. Simultaneously he shall also execute and register the conveyance deed for the undivided proportionate title in the common areas to the association of the allottees or the competent authority,as the case may be,as per Section 17 of the Real Estate(Regulation and Development) Act, 2016;
  - iii. The promoter shall deposit seventy percent of the amounts realised by the promoter in a separate, account to be maintained in a shedule bank to cover the cost of construction and the land cost to be used only for that purpose as per subclause(D) of clause(1) of sub - Section(2) of Section 4 of the Real Estate(Regulation and Development) Act, 2016
  - iv. The registration shall valid upto **15-08-2026**(Estimated Finish Date) unless extended by the Real Estate Regulatory Authority in accordance with Section 6 of the Real Estate(Regulation and Development) Act,2016 read with rule 7 of the Rajasthan Real Estate(Regulation and Development) Rules,2017;

- v. The promoter shall comply with the provisions of the Act and the rules and regulations made there under;
  - vi. The promoter shall not contravene the provisions of any other law for the time being in force in the area where the project is being developed.
5. If the above mentioned conditions are not fulfilled by the promoter, the Authority may take necessary action against the promoter including revoking the registration granted here in.
  6. If Applicable, it is the responsibility of the promoter to obtain the necessary extension of the time period indicated in Form-B regarding 'Date of Completion'.

This bears approval of Chairman,Rajasthan Real Estate Regulatory Authority(RERA)



**Signature valid**

Digitally signed by **Ravi Jain**  
Designation: **Registrar**  
Date: 2026.04.06 12:02:14 IST  
Reason: Approve

**Signature valid**



Digitally signed by **Ravi Jain**  
Designation: **Registrar**  
Date: 2026.04.06 12:02:14 IST  
Reason: Approve

# KISHANGARH


## किशनगढ़

### URBAN AREA - 2031

### नगरीय क्षेत्र 2031

-  VILLAGE BOUNDARY  
ग्राम सीमा
-  MUNICIPAL BOUNDARY  
नगर पालिका सीमा
-  TEHSIL BOUNDARY  
तहसील सीमा
-  URBANISED AREA - 2011  
नगरीयकृत क्षेत्र 2011
-  URBANISABLE AREA - 2031  
सम्भावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र 2031
-  HIGHWAY CORRIDOR DEVELOPMENT AREA-2031  
हाईवे कॉरीडोर डवलपमेंट क्षेत्र-2031
-  PERIPHERAL CONTROL BELT  
परिधि नियंत्रण पट्टी
-  URBAN AREA LIMIT NOTIFIED  
U/S 3(1) OF RUI ACT 1959  
राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3(1)के अन्तर्गत अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की सीमा
-  RAILWAY LINE  
रेलवे लाइन
-  FOREST AREA  
वन क्षेत्र
-  PLANNING ZONE BOUNDARY  
योजना क्षेत्र सीमा
- PLANNING ZONES**  
योजना क्षेत्र
- अ** OLD CITY PLANNING ZONE  
पुराना सहर योजना क्षेत्र
- ब** MADANGANJ PLANNING ZONE  
मदनगज योजना क्षेत्र
- स** ROOPANGARH PLANNING ZONE  
रूपनगढ़ योजना क्षेत्र
- द** GRAIN MANDI PLANNING ZONE  
कृषि मण्डी योजना क्षेत्र
- य** HIGHWAY CORRIDOR DEVELOPMENT ZONE  
हाईवे कॉरीडोर डवलपमेंट क्षेत्र
- र** PERIPHERAL CONTROL BELT ZONE  
परिधि नियंत्रण पट्टी योजना क्षेत्र

APPROVED BY GOVERNMENT VIDE NOTIFICATION NO.  
प.10(34)नविधि/3/2011 दिनांक 03.06.2013



कम्पलैटेंट- राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जयपुर  
सब-कम्पलैटेंट- ए.सी.पी.एल. डिजाइन लिमिटेड नई दिल्ली

(श्री गोपाल चित्तौडिया)  
उप नगर नियोजक  
अजमेर जोन,  
अजमेर

(श्री गोपाल चित्तौडिया)  
वरिष्ठ नगर नियोजक  
अजमेर, अजमेर

(प्रदीप कपूर)  
अति. वरिष्ठ नगर नियोजक (पूर्व)  
राजस्थान,  
जयपुर

